राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ4(40)सामान्य / विधि / पंरा / 2016 / 130 जयपुर,दि0 20.02.2017

:::: परिपत्र ::::

विभागीय परिपत्र क्र0एफ4( )सामान्य / विधि / पंरा / 2016 / 875 जयपुर दिनांक 25.11.2016 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं से कार्य कराने हेतु दिशा–निर्देश निर्धारित किये गये थे। उक्त दिशा–निर्देशो के **"बिन्दु सं0 7.6** दरों का निर्धारण उपापन समिति / संस्था द्वारा उस क्षेत्र विशेष में प्रचलित दर, प्रचलित बीएसआर व समानान्तर दर अनुबन्ध, यदि कोई हो, का दृष्टिगत रखते हुए किया जावे।" को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता हैः–

1. **प्रचलित दर** :– प्रचलित दर से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में समान प्रकृति के कार्यों की स्वीकृत दर से है।

2. **प्रचलित बी.एस.आर. दर** :– इसका तात्पर्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुमोदित बी.एस.आर. में अंकित दरों से है एवं यदि दरें ग्रामीण विकास विभाग की बी.एस. आर. में उपलब्ध नहीं हो तो उस क्षेत्र विशेष में प्रचलित अन्य विभागों की बी.एस.आर. से ली जा सकती हैं।

3. **समानान्तर दर अनुबन्ध** :– इससे तात्पर्य विभाग द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के लिए माल या सेवाओं (गुड्स या सर्विसेज) की आपूर्ति / उपापन के लिए अनुमोदित दरों से है ।

निर्धारित दरें किसी भी परिस्थिति में प्रचलित बी.एस.आर. दरों से अधिक नहीं होंगी ।

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा योजना।
8. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, विभाग ।
9. जिला कलेक्टर्स – समस्त।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,समस्त ।
11. विकास अधिकारी – समस्त।

उप शासन सचिव(विधि)